न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

. 89 / 2019
र्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
दिनांक 16.03.2020

राजेन्द्रसिंह पुत्र खूबीराम जाति जाट निवासी लालपुर तहसील नदबई(भरतपुर) राज.

वादी

बनाम

1. जवाहरसिंह पुत्र खूबीराम जाति जाट निवासी लालपुर तहसील नदबई(भरतपुर) राज..
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
3. श्रीमान सब रजिस्ट्रार नदबई

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री अशोक कुमार एड0

श्री लक्ष्मणसिंह एड0

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है, जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह कि आराजी खसरा न. 1772 रकवा 0.05, 1173 रकवा 0.05, 764 रकवा 0.04, कुल किता 3 रकवा 0.14 है. खाता सं. 24 के खसरा नम्बर 479 रकवा 0.06, खाता सं. 26 एवं खसरा न. 436 रकवा 0.08, 437 रकवा 0.07, 438 रकवा 0.07, 439 रकवा 0.07, 486 रकवा 0.24, 487 रकवा 0.09, कुल किता 6 कुल रकवा 0.62 है. खाता सं. 2 एवं खसरा न. 123 रकवा 0.12, 124 रकवा 0.26, 236 रकवा 0.71, 420 रकवा 0.76, 421 रकवा 0.40, 422 रकवा 0.21, 423 रकवा 0.02, 424 रकवा 0.13 कुल किता 8 रकवा 2.16 है., खाता सं 21 एवं खसरा न. 1170 रकवा 0.13, 134 रकवा 0.72 कुल किता 2 कुल रकवा 0.85 खाता सं. 23 एवं खसरा 1063 रकवा 0.15, खाता सं. 45 एवं आराजी खसरा न. 1114 रकवा 0.40, 1151 रकवा 0.04, कुल किता 2 कुल रकवा 0.44 खाता सं. 25 वाके ग्राम लालपुर तहसील नदबई में स्थित है। नकल जमाबंदी सं. 2073–76 वाके ग्राम लालपुर पेश है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की वर्णित मद सं. 2 की आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी व अप्रार्थी के पिता खूबीराम की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है। प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण व अप्रार्थी के पिता का देहांत दिनांक 26.10.19 को हो चुका है। जिनका सजरा भी साथ में पेश है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

कि प्रार्थना पत्र की वर्णित मद सं. 2 की आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 3 के पिता मृतक खूबीराम की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात था जिसका विभाजन र्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में एक टवारानामा दिनांक 04.08.1999 को कर दिया था। अन्य अचल प्रोपर्टी मकान दुकान आदि ा बटवारा भी दिनांक 05.01.1997 को कर दिया जिस पर चारों भाईयों की पूर्ण सहमति से क्त आराजीयात एवं मकान दुकान एवं अन्य प्रोपर्टी का बटवारा नामा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता खूबीराम ने अपने जीवनकाल में ही कर दिया तथा मुताबिक बटवारानामा प्रार्थी उक्त आराजीयात पर दिनांक 04.08.1994 से एवं मकान दुकान एवं अन्य प्रोपर्टी पर दिनांक 05.01.1997 से काबिज होकर काश्त एवं उपयोग में लेते हुये चले आ रहे है तथा मौके पर फसल सरसों व गेहूं खेडे हुये हैं। लेकिन उसके बाद अप्रार्थी सं. 1 जवाहरसिंह जो पूर्व में पंचायत से सरपंच रहा है जो राजनैतिक व्यक्ति है, ने मृतक खूबीराम जिनकी आयु 90 साल है। जिसकी सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो चुकी है को षडयंत्रपूर्व फर्जकारी तरीके से अप्रार्थीगण सं. 2 से मिल्लत कर मृतक खूबीराम के नाम से एक तथा कथित फर्जी वसीयत अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थी एंव प्रतिवादी सं. 2 व 3 के के हकों को समाप्त करने की गरज से अपने नाम तथाकथित फर्जी वसीयत दिनांक 05.03.19 को तहरीर व तस्दीक करवा ली है। तथा मुताबिक फर्जी वसीयत दाखिला खारिज चढाने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी को सख्तहकतफी है। उक्त वसीयत नामा निम्न आधार पर प्रार्थी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के हकों पर अप्रभावी है। वातिल व बेअसर है। व काबिल शून्य है।

अ यह कि उक्त विवादित आराजीयात का बटवारानामा लिखित में चारों भाईयों को सहमति से में ही दिनांक 04.08.1999 व अन्य असल संपत्ति दुकान मकानात व अन्य प्रोपर्टी का बटवारा हो ा था जिसके मुताबिक चारों भाईयों अपने अपने हिस्सा पर काबिज हो गये, तथा सन 1999 से र्थी एवं अप्रार्थी अपने–अपने हिस्से पर काश्त कर रहे हैं। मौके पर उक्त विवादित आराजी पर उक्त ाराजीयात पर करीब 20 साल से निर्विरोध काबिज हो गये तथा कब्जे के आधार पर प्रार्थी एवं तेवादी सं. 2 व 3 व अप्रार्थी सं. 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुकी है। तो बाद की वसीयत ार्थी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के हकों एवं काबिज निरस्तनीय एवं अप्रभावी है।

ब यह कि उपरोक्त विवादित आराजीयात पर मुताबिक बटवारानामा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 का ौके पर कब्जा है। इसलिये कब्जे का आदान–प्रदान भी नहीं हुआ हैं। इसलिये बिना कब्जा आदान प्रदान किये वसीयतनामा शून्य है। प्रार्थी एवं प्रतिवादी सं. 2 के हकों पर वातिल बेअसर है। प्रारम्भ से शून्य है।

4 स यह कि उक्त वसीयतनामा फर्जी तरीके से मृतक खूबीराम की मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर फर्जी तरीके से की गयी है, काबिल निरस्तनीय है, व प्रारम्भ से शून्य है।

Scanned with CamScanner

इसलिये उक्त फर्जी वसीयतनामा से प्रार्थी को सकतहक तलफी है। इसलिये प्रार्थी वसीयतनामा को अपने व प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने हिस्सा तक शून्य व अप्रभावी घोषित करा पाने का है। तथा प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण मुताबिक बटवारानामा अपने अपने हिस्सा को खातेदार पर घोषित कर पाने के अधिकारी है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करा पाने का अधिकारी है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी को दिनांक 04.12.19 को यह धमकी दी है कि उसने पिता मृतक खूबीराम की मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार नदबई से मिल्लत कर एक फर्जी कूटरचित वसीयत नामा के आधार पर दाखिला खारिज अपने हक में चढवा कर उक्त आराजी पर दीगर बस को रहनवयमुंतकिल कर देगा तथा प्रार्थी को प्रतिवादी सं. 2 व 3 को बटवारानामा के आधार पर हिस्सा से बेदखल कर देगा तथा प्रार्थी एवं प्रतिवादी सं. 2 को समाप्त कर देगा जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त दी गयी धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अजीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति जरिये नकद से नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

6. यह कि प्राईमाफेसी व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंदी किया जावे कि वो विवादित आराजी व वर्णित रण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी में मदाखलत मजामहत न करें कब्जे से बेदखल न करे रहनवयमंतकिल न करे तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रार्थी की तरफ से श्री अशोक कुमार एडवोकेट पेश हुये। अप्रार्थी सं. 1 की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से लक्ष्मणसिंह एडवोकेट उपस्थित हुये जिनके द्वारा जबाब पेश किया गया जो निम्नानुसार है :-

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 के मुताबिक उक्त उनवानी वाद पत्र के न्यायालय श्रीमान में पेश किये जाने व विचाराधीन होने के अतिरिक्त अन्य कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है। दावा वादी व प्रार्थना पत्र वादी बाबत् खसरा नम्बरान 236 रकवा 0.71, 420 रकवा 0.76, 421 रकवा 0.40, 422 रकवा 0.21, 423 रकवा 0.02, 424 रकवा 0.13 संपूर्ण वाके ग्राम लालपुर तहसील नदबई एवं खसरा न. 134 रकवा 0.72 है. का 3/4 हिस्सा वाके ग्राम लालपुर तहसील नदबई बाबत् पूर्णतया काबिल खारिजी के है। उक्त आराजी को प्रार्थी का पिता जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 05.03.2019 को अप्रार्थी के नाम करा चुका है। तथा उक्त आराजी पर अप्रार्थी सं. 1 अपने पिता खूबी उर्फ खूबीराम की मृत्यु के बाद से यानि कि दिनांक 26.10.19 से खातेदार की तरह काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थी के पिता खूबी उर्फ खूबीराम की स्वअर्जित आराजी थी जिस पर वादी एवं प्रतिवादी गण सं. 2 व 3 का एंव वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 की बहिन पुष्पा का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है अन्य आराजी जो वादपत्र में दर्ज है तथा मृतक खूबी उर्फ

Scanned with CamScanner

शीराम द्वारा छोडीगयी है। उस पर वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 खातेदार की तरह काबिज है। तथा वसीयतनामा के अलावा अन्य आराजी पुश्तैनी आराजी है।

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 के मुताबिक खसरा न 1772, 1173,764, 779, 436, 437,438,439,486,487,123,124,236,420,421,422,423,44,1170,134,1063,1114,1151, वाके ग्राम लालपुर में स्थित होना स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादपत्र की मद सं. 2 में दर्ज आराजी खूबी उर्फ खूबीराम के नाम दर्ज थी जिसका देहान्त दिनांक 26.10.19 को हो चुका है। वादी व प्रतिवादीगण की माता शान्ति देवी का भी देहान्त खूबी उर्फ खूबीराम की मृत्यु से पूर्व हो चुका है। खसरा न. 236,420,421,422,423,424, वाके ग्राम लालपुर तहसील नदबई की संपूर्ण आराजी एवं आराजी खसरा न. 134 रकवा 0.72 वाके ग्राम लालपुर का 3/4 हिस्सा की आराजी का प्रतिवादी सं. 1 का पिता अपनी उक्त स्वअर्जित आराजी का प्रतिवादी अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में दिनांक 05.03.19 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा करा दिया था, तथा उनकी मृत्यु के बाद यानि कि दिनांक 26.10.19 से प्रतिवादी सं. 1 से उक्त आराजी पर वाहिद तरीके से खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज चला आ रहा है। उक्त आराजी से वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 व उनकी बहन पुष्पा का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थी द्वारा पेश किये गये सजरा का भी किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं है। अन्य आराजी को अप्रार्थी सं. 1 के पिता खूबी उर्फ खूबीराम द्वारा किसी प्रकार से वसीयतनामा व अन्य किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पक्षकार को नहीं दी गयी है। वह आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण जवाहरसिंह, राजेन्द्रसिंह, घनश्यामसिंह, ओमप्रकाश व उसकी वहन पुष्पा देवी की पैतृक संपत्ति है।

4. यह कि मुताबिक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा न. 236 रकवा 0.71, 420 रकवा 0.76, 421 रकवा 0.40, 422 रकवा 0.21, 423 रकवा 0.02, 424 रकवा 0.13, वाके ग्राम लालपुर तहसील नदबई की संपूर्ण आराजी की एंव खसरा न. 134 रकवा 0.72 का 3/4 हिस्सा वाके ग्राम लालपुर अप्रार्थी सं. 1 के पिता खूबी उर्फ खूबीराम की स्वअर्जित आराजी थी। जिसे उन्होने जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 05.03.19 को अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में वसीयत कर दी है। अप्रार्थी सं. 1 खातेदार काश्तकार की तरह काबिज है। उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 व 3 तथा उसकी बहन पुष्पा का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अन्य आराजी पर पार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 व उसकी वहन पुष्पा देवी अपने आपको खातेदार व काबिज घोषित करा पाने एवं बटवारा करा पाने की अधिकारी है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 04.08.1999 या अन्य किसी तिथि को कोई बटवारा विवादित आराजी वाक्त नहीं किया दिनांक 05.01.1997 को प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता व प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य दुकान मकान आदि का कोई बटवारा नहीं हुआ, तथा उक्त तथ्य प्रार्थी ने अपने दावा व प्रार्थना पत्र को रंगत देने की गरज से झूठा अंकित कराये है। कृषिभूमि वादत बटवारा हेतु लैण्डहोल्डर तहसीलदार नदबई की सहमति आवश्यक है, तथा उक्त बटवारा या तो लैण्डहोल्डर के जरिये किया जा सकता है अथवा अदालत श्रीमान द्वारा किया जा सकता है प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 का विवादित आराजी जो जरिये रजि. वसीयतनामा अप्रार्थी सं. 1 को दिनांक 05.03.19 को प्राप्त हुयी है। उक्त आराजी पर उनका

Scanned with CamScanner

हक व हिस्सा नहीं बनता है तथा उक्त आराजी पर उनका कोई कब्जा काश्त भी नहीं प्रार्थी व अप्रार्थीगण 2 व 3 को किसी प्रकार की कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये है। प्रार्थी द्वारा वसीयत नामा रजि. दिनांक 05.03.19 फर्जी व कूटरचित बताया गया है। तथा मृतक खूबी उर्फ खूबीराम से मिल्लत कर के व उनकी मानसिक स्थिति को नाजुक बताते हुये कराया जाना बताया गया है। ऐसी स्थिति में वादपत्र वादी सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार है रेवन्यू अदालत को उक्त संबंध में सुनवायी का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है वसीयतनामा रजि. तारीख 05.03.19 सही व वैद्य है जिसे अदालत श्रीमान द्वारा निरस्त व अप्रभावी नहीं किया जा सकता है।

4अ यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 4अ गलत होने के कारण अस्वीकार है। विवादित आराजी का प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 04.08.99 को तथा अन्य किसी तिथि को कोई बटवारा नही हुआ। न ही आज तक प्रार्थी व अप्रार्थी के कब्जेकाश्त में नहीं है। क्योंकि वो मूलतया जयपुर मे भी निवास करते है।

4ब यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 4ब गलत होने के कारण अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा से आयी हुयी आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 व पुष्पा देवी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा से आयी हुयी आराजी अप्रार्थी सं. 1 खातेदार की तरह काबिज है। इस तरह वसीयतनामा से आयी आराजी पर अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी की तरह काबिज है। इस तरह से वसीयतनामा रजिस्टर्ड न वातिल व बेअसर है। और न ही प्रारम्भ से शून्य ही है।

4स यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 4स गलत होने के कारण अस्वीकार है। चरण सं. 4 में जो तथ्य वर्णित किये है ऐसे तथ्यों के आधार पर केवल मात्र सिविल न्यायालयों द्वारा ही दावा पेश करने के बाद वसीयतनामा रजिस्टर्ड को केन्सिल कराया जा सकता है ऐसे मामलों में रेवेन्यू अदालत को कोई अधिकार न होकर केवल मात्र सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 रजिस्टर्ड वसीयतनामा से आयी हुयी आराजी पर किसी प्रकार से खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी नहीं है, तथा बटवारा करा पाने का भी अधिकारी नहीं है।

5. प्रार्थना पत्र की चरण सं. 5 गलत होने के कारण अस्वीकार है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 04.12.19 को कोई किसी प्रकार की धमकी नही दी गयी। न ही रजिस्टर्ड वसीयतनामा तहसीलदार नदबई द्वारा नहीं किया गया बल्कि सबरजिस्ट्रार नदबई ने वसीयतनामा को रजिस्टर्ड किया था। वसीयतनामा दिनांक 05.03.19 को प्रार्थी द्वारा कूटरचित व फर्जी वसीयतनामा बताया गया है। तथा मृतक खूबी उर्फ खूबीराम की मानसिक स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर बतलाया जाना बताया गया है। ऐसी स्थिति में केवल सिविल न्यायालय को ही सुनवायी का क्षेत्राधिकार है, तथा वसीयत से आयी हुयी कृषि भूमि पर प्रार्थी किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करा पाने का अधिकारी नहीं है, न ही कोई धमकी दी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Scanned with CamScanner

ने उभय पक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील द्वारा दौराने बहस
वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,89,188 के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत
2 आरटीए पेश किया। जिसमें वादी द्वारा अपने वादपत्र व बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र व
की मद सं. 2 में वर्णित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता की खातेदारी की आराजी है, एवं
का प्रार्थी के पिता की आराजी में मद सं. 3 में वर्णित सिजरे अनुसार हक निहित है। लेकिन
र्थी द्वारा प्रार्थी के पिता स्व. खूबीराम को बहला–फुसलाकर मानसिक रूप से कमजोर वृद्ध पिता
की उम्र लगभग 90 वर्ष थी से वसीयत दिनांक 05.03.2019 को अपने पक्ष लिखवा लिया। जबकि
र्थी के स्व. पिता श्री खूबीराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने बेटों के बीच अपनी चल–अचल
पत्ति का बटवारा दिनांक 04.08.99 व 05.01.97 को बटवारेनामे द्वारा कर दिया गया था। चूंकि
ार्थी के स्व. पिता श्री खूबीराम की उम्र वक्त वसीयत दिनांक 05.03.2019 को लगभग 90 वर्ष थी
अर्थात उनकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी थी एवं प्रार्थी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल
में भी अपनी संपत्ति का बटवारानामा अपने वारिसों के बीच किया जा चुका था। अतः अप्रार्थी के पक्ष
में प्रार्थी के पिता द्वारा की गयी वसीयत दिनांक 05.03.19 प्रारम्भ से ही शून्य है। उक्त वसीयत को
अवैद्य घोषित करवाने के लिये भी प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय से प्रकरण पेश किया हुआ है, जो
विचाराधीन है। अप्रार्थी उक्त वसीयत के आधार पर स्व. खूबीराम की संपत्ति का नामांतकरण अपने
पक्ष में करवाना चाहता है। प्रार्थी व अप्रार्थी अपने अन्य भाईयों के साथ विवादित आराजी पर अपने
हिस्से अनुसार काबिज है। अतः विवादित आराजी के दावे निस्तारण तक रिकॉर्ड व मौके की
यथास्थिति बनायी रखी जावे। प्रार्थी द्वारा अपने तर्क के पक्ष में नजीर आरआरटी 2016(1) पेज 264
बोर्ड ऑफ रेवन्यू अजमेर गोपी बनाम मनफूल, आरआरटी 2015 (2) पेज न. 985 मुहम्मद हाजी रशीद
अहमद बनाम मुहम्मद शफी, आरआरटी 2016–17 पेज न. 687 बोर्ड ऑफ रेवन्यू अर्जुन बनाम बद्री,
आरआरटी 2016–17 सप्लीमेन्ट्री पेज न. 285 बोर्ड ऑफ रेवन्यू परमजीत कौर बनाम शिव
एसोसिएट्स, पेश की गयी।

अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब व बहस में कहा कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित विवादित
आराजी में से अप्रार्थी के पक्ष में की गयी वसीयत के आराजी खसरा न. 236, 420, 421,422, 423,
424, 134 स्व. खूबीराम (वसीयतकर्ता) की खरीदशुदा स्वअर्जित भूमि है। जिसकी वसीयत करने के
लिये प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता स्व. खूबीराम स्वतंत्र है। स्व. खूबीराम द्वारा अपने जीवनकाल में कोई
बटवारानामा नहीं लिखा गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बटवारानामा अपंजीकृत है जो कि विश्वसनीय नहीं
है। स्व. खूबीराम ने उपपंजीयक के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं अप्रार्थी के पक्ष में वसीयत पंजीकृत
करवायी है। अप्रार्थी के पिता स्व.खूबीराम द्वारा उपपंजीयक समक्ष पूर्ण होश हवाश में वसीयत पंजीकृत
करवायी है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की वसीयत का नामांतकरण रोकने के उद्धेश्य से प्रार्थना पत्र पेश
किया जो वसीयत में अंकित खसरा न. 236, 420, 421,422, 423, 424, 134 तक काबिल खारिज है।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी हाल
संबत 2073–76 वाके ग्राम लालपुर, नकल बटवारनामा विवादित आराजीयात दिनांक 04.08.1999
नकल बटवारनामा दुकान व मकानात दिनांक 05.0.1.1997 तहसील नदबई पेश किये गये।

Scanned with CamScanner

[illegible] द्वारा अपने प्रार्थना के समर्थन में [illegible] फोटोप्रति [illegible] 28.10.2019, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र [illegible] दिनांक 28.10.19, मकान फोटोप्रति [illegible] 2073-76 वार्ड [illegible], मकान प्रमाणित फोटोप्रति बयनामा तारीख 09.07.1993, फोटोप्रति [illegible] 2075 व 2080 [illegible], मकान फोटोप्रति [illegible] 2069-72 एवं 2073-76 [illegible], मकान फोटोप्रति [illegible] 2009-11, 2006-08, 2011-14 [illegible], मकान [illegible] 13.02.2020, [illegible], मकान प्रमाणित फोटोप्रति [illegible] 9/20, मकान फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र खूबीराम दिनांक 28.10.19, मकान [illegible] पेश किये गये।

1. प्राइमाफेसी केस :— मैंने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी के जवाब उभयपक्ष द्वारा की गयी बहस व पेश किये रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि :—

अ. प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच विवाद का बिन्दु उनके पिता स्व. खूबीराम द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में की गयी वसीयत की वैधता का है। चूंकि प्रार्थी अप्रार्थी के पिता खूबीराम द्वारा दिनांक 05.03.19 को वसीयत उपपंजीयक के समक्ष पंजीकृत करवायी है। जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं करने तक अवैध माना नहीं जा सकता है। अप्रार्थी ने अपने जवाब व बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र के मद सं. 2 में वर्णित आराजी में से खसरा न. 236, 420, 421,422, 423, 424, 134 स्व. खूबीराम (वसीयतकर्ता) की स्वअर्जित संपत्ति है, जिसकी वसीयत करने का पूर्ण अधिकार वसीयतकर्ता को प्राप्त है। जिनकी वसीयत दिनांक 05.03.2019 को अप्रार्थी के पक्ष में स्व. खूबीराम (वसीयतकर्ता) ने की है। अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में पेश रिकॉर्ड फोटोप्रति बयनामा तारीख 09.07.1993 से भी आराजी खसरा न. 236, 420, 421,422, 423, 424, 134 स्व. खूबीराम (वसीयतकर्ता) की स्वअर्जित भूमि होना साबित है। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में स्व. खूबीराम की स्वअर्जित भूमि होने का कोई विरोध नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा पेश स्व. खूबीराम का अपने वारिसों के मध्य दिनांक 04.08.99 व 06.01.97 को बटवारे का दस्तावेज अपंजीकृत है। उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजी में से स्व. खूबीराम द्वारा दिनांक 05.03.19 को संपादित वसीयत में वर्णित खसरा न. 236, 420, 421,422, 423, 424, 134 को छोडकर शेष खसरा न. पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी द्वारा पेश नजीर प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। वसीयत में अंकित खसरा न. 236, 420, 421,422, 423, 424, 134 में प्रथमदृष्ट्या मामला अप्रार्थी के पक्ष में है।

2. सुविधा संतुलन :— वसीयत मे अंकित खसरा न. को छोडकर शेष खसरा न. पर सुविधा संतुलन बिंदु सं. 1 के विवेचन के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में है। वसीयत में अंकित खसरा न. पर सुविधा संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में है।

3. अपूर्णीय क्षति :— अप्रार्थी द्वारा मद सं. 2 में वर्णित खसरा न. में से वसीयत में वर्णित खसरा न. को छोडकर शेष खसरा न. को खुर्द-बुर्द किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

सत्यमेव जयते
Non Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर आदेश है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 त आराजी खसरा न. 1772, 1173, 764 479 436 437 438 439 486, 487, 123, 124, 236, 421, 422, 423, 424 1170, 134 1063 1114, 1151 वाके ग्राम लालपुर तहसील नदबई में से राजी खसरा न.1772, 1173, 764 479 436 437 438 439 486, 487, 123, 124, 1170, 1063 114, 1151 वाके ग्राम लालपुर तहसील नदबई पर दिनांक 05.12.2019 को जारी स्थगन आदेश दावे के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। शेष आराजी खसरा न. 236, 420,421, 422, 423, 424, 34 वाके ग्राम लालपुर तहसील नदबई पर दिनांक 05.12.2019 को जारी किया गया स्थगन आदेश खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner